

कायलिय उप वन संरक्षक, बून्दी

E-Mail:- dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823

क्रमांक एफ()एफसीए/उवसं/2022/ 8924

दिनांक : 29.09.22

निमित्त:

विमानपतन निदेशक
भारतीय विमानपतन प्राधिकरण
कोटा

Subject: Diversion of 466.592 ha. Forest land for Construction of New Green Field Airport Kota, District- Bundi in the State of Rajasthan. Proposal No.FP/RJ /Others/ 150590/2021.

Ref.: Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), Indira Paryavaran Bhawan, JorBagh Road, Aliganj, New Delhi File No. 8-05/2022-FC Dated 05.9.2022. एवं आपका पत्र क्रमांक 466 दिनांक 28.9.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रस्तावित Diversion of 466.592 ha. Forest land for Construction of New Green Field Airport Kota, District- Bundi in the State of Rajasthan मे भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 05.9.2022 के बिन्दु संख्या 05 (The IRO, Jaipur in their SIR also reported that two fragmented patches of forest land at Northern side of the proposed airport are of about 33.5 ha. and 137.01 ha. are left and will be prone to encroachment. It has been proposed that the User Agency may construct boundary wall for these two patches The State Govt. may provide comments in this regard.) के सम्बंध में आप द्वारा आपके प्रासांगिक कार्यालय पत्रांक से प्रेषित पालना में संलग्न Undertaking प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार (User Agency is hereby undertake that, we have applied for diversion of 466.5920 ha. of forest area for the purpose "Construction of New Green Field Airport Kota, District- Bundi in the State of Rajasthan" and User agency is ready to construct the Pucca boundary wall on the edge of Forest land proposed for diversion at own cost.) प्रासांगिक पत्र दिनांक 05.9.2022 के बिन्दु संख्या 05 की पालना अपूर्ण है। अतः दिनांक 05.9.2022 के बिन्दु संख्या 05 की पूर्ण पालना सहित Undertaking भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जावे।

भवदीय

(टी मोहनराज)

उप वन संरक्षक

बून्दी

दिनांक :

29.09.22

क्रमांक एफ()एफसीए/उवसं/2022/ 8925-26

1. प्रतिलिपि अतिप्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(डॉ. टी मोहनराज)

उप वन संरक्षक

बून्दी